

27-4

5882

प्रेष्ट :

२७-५-०८

२७-५-०८

II/2932

५२

नोमता रचना अरोड़ा,
अनर मुख्य न्यायिक मणि,
कोट पूर्ण-१,
मुरादाबाद।

कोटी 23-५-२८-५-००

लेवा है:

मानवीय महानिबन्धक,
मानवीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

Request No.

द्वारा :

मानवीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

विषय :

वर्ष २००६-०७ में निर्धारित कोट पूर्ण न कर पाने के संबंध में
मैंने नए स्वरूप विषयक् ।

- - - - -

महोदय,

मानवीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा मुझे दिनांक
२८.०२.०७ को जेवना वार्षिक आध्या भेजी गई जिसमें मेरे द्वारा मानक
कम कार्य नियमादित करने संबन्ध में टिप्पणी का गई है। उक्त के सन्द
में मेरा स्वरूप नियन्वत् है कि :-

१। माह अगस्त-०६ से माह जनवरी-०६ तक मेरे द्वारा सिविल ज
जून छिंग, मुरादाबाद के न्यायालय में कार्य किया गया।

२। माह-अगस्त में उक्त न्यायालय में निर्णय हेतु कोई प्राविली
नियत नहो था।

३। उक्त न्यायालय में जो प्राविली लम्बित थी, वै सादृश
स्तर पर थी, जिनमें सादृश पूर्ण होने के पश्चात ही निर्णय पारित किय
जाना तथा कोटा के पाना संभव था।

४। उक्त प्राविली के रीछु निस्तारण हेतु मेरे द्वारा विधि
अनुसार अग्रिम कार्यवाही की गई तथा अथवा प्रयास कर उक्त प्राविली
बहस के स्तर पर लाया गया।

५। इसी दौरान माह-जून-०६ में सिविल कार्य बन्द रहने के का
प्राविली का निस्तारण अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहो हो सकी।

६। माह जुलाई में जिनप्राविली में सादृश पूर्ण हो चुको थीं,
मेरे द्वारा उनमें निर्णय पारित किये गए तथा अन्य लम्बित प्राविली के

२० अ१-११

४०

२७ अ१-११

संकेतिः
प्रेषणात्
द्वारा
संभव
प्राविली

Received
25/07/08 (CF) K

Request No

साक्ष पूर्ण करने का मेरे छारा अथवा प्रयास किया गया ।

४७५ इसी दोरान ८, जगत्त २००६ को मेरी श्रौन्नति न्यायालय पुलीजै पम्, कोट नॉ-१, मुरादबाद में हो गई जो कि रिक्त चल रही था ।

४८६ उक्त न्यायालय रिक्त चलने के कारण वहाँ लम्बित वादों के क्रियान्वयन को पृक्षिया रिक्षित पड़ो हुई थी जिसमें मेरे छारा सम्बन्ध प्रयास कर सुचारू ढूँढ निरर्थील बनाया गया । जबकि माह-सितम्बर-०८ में नगर निगम चुनाव के कारण प्रौद्योगिक तामीला पर काको प्रभाव पड़ा

४९७ मेरे छारा न्यायालय में लम्बित वादों के क्रियान्वयन को प्रभावों किया गया तथा कई पत्रावलियों में निर्णय प्रारित किये गए ।

४१० इसी दोरान मेरे "फैमिली वे" में होने के कारण स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने के कारण मुझे अवानक मातृत्व अवकाश गृहण करना पड़ा । मेरे फैमिली वे में होने के कारण स्वास्थ्य खराब रहने के उपरा भा मेरे छारा कार्य पूर्ण करने का अथवा प्रयास किया गया ।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित परिस्थितियाँ वरा निर्धारित मानकों के अनुरूप कोटा नूरा करना सुनिभव नहो हो गया है । माननी महोदय उपरोक्त उल्लिखित परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कृपा करें । भविष्य में मानकों के अनुरूप निर्धारित कोटा पूर्ण किया जाएगा ।

अतः श्रामान् जी से उपर्यन्ता है कि माननीय उच्च न्याया के संश्लान में उक्त तथ्य लाकर मेरा स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए मेरी गोपनाय आध्या वर्ष २००६-०७ निरस्त करने को कृपा करें ।

स्पष्टीकरण माननीय महोदय की सेवा में सादर पैसित है

दि० : १७.०४.२००७

भवदीय

मुरादाबा जजी, मुरादाबा ।

श्री मस्ता चना गरीब (१.५.०७)

सं ३९५/२००७ ॥ प्रश्ना ॥ दि०: २०.४.०७
सेवा में, महानिबन्धक, माननीय उच्च
न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित ।

अपर मुख्य न्यायिक मणि०, कोट नॉ-१,
मुरादाबा ।

Ch
जनषद न्यायाधीश,
मुरादाबा । ०८
१९५०८